जेड.२५०२३/09/२०१८-२०२०-DCC (AYUSH)

भारत सरकार

आयुर्वेद,योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा एवं होम्योपैथी(आयुष) मन्त्रालय

दिनांक: ०१ अप्रैल, २०२०

आदेश

जबकि COVID-19 के प्रकोप के कारण देश में उभरते खतरे को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि यथा संभव सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए एवं आयुष औषधियो तथा सेवाएं के बारे में भ्रामक जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया जाये।

जबकि गृह मंत्रालय ने आदेश संख्या ४०-३ / २०२०-डीएम- II (ए), दिनांक २४ मार्च, 2020 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने आदेश सं 1-29 / 2020-पीपी (Pt II) दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा सभी केन्द्र/केन्द्र शासित/ राज्य सरकारो को आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५ के प्रावधानों के तहत निर्देश जारी किये है कि देश में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए किसी भी झूठे दावे को दंडनीय अपराध के रूप में आवश्यक कार्यवाही की जाये।

तदनुसार, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 का धारा 33 पी के तहत प्रदान की गयी केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश दिया जाता हैं कि सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में एएसयू एंड एच से संबंधित नियामक प्राधिकरण, COVID-19 उपचार के लिए आयुष संबंधी दावों के विज्ञापन एवं प्रचार / प्रसार को प्रिंट, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मे आने से रोके एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों / एजेंसियों के खिलाफ प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और एनडीएमए के पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

यह सचिव (आयुष), भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सलाहकार (आयु.) एवं प्रमुख,
एएसयू और एच ड्रग पालिसी सेक्शन

सेवा में,

i. **सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव / सचिव (स्वास्थ्य / आयुष)।**
ii. **आयुष के राज्य लाइसेंसिंग अधिकारी / ड्रग कंट्रोलर**

छाया प्रति:

i. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को टीवी चैनलों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध हैं।
ii. सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,भारत सरकार को इलेकट्रोनिक मीडिया को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध हैं ।
iii. सचिव, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध हैं ।
iv. सचिव, ए.एस.सी.आई को उपरोक्तानुसार भ्रामकआयुष विज्ञापन / दावे की रिपोर्टिंग करने का अनुरोध हैं।
v. राष्ट्रीय, मध्यवर्ती और परिधीय फार्माकोविजिलेंस सेंटर के निदेशक / प्रभारी को COVID 19 संबन्धित आयुष विज्ञापन / प्रचार सामग्री की निगरानी और रिपोर्ट करने का अनुरोध हैं।

सलाहकार (आयु.) एवं प्रमुख, एएसयू और एच
ड्रग पालिसी सेक्शन